

FP/UP/ROAD/47893/2020

संख्या - ①

भाग-V

①

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

CE A 905
.....की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है ।



हस्ताक्षर

दिनांक- 30/9/2020

स्थान-

Pankaj Misra
Chief Conservator of Forests / Joint Secretary
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow
सरकारी मोहर